

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

मु.नं 134/17 तारीख रज् 26-10-17

उत्तरान - केशरदेवी बनाम हरी केशरदेवी कापुरा

दावा वावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188,

वादी की ओर से श्री मोहन कुमार शर्मा एवम् केटने दावा वावत तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188, के तहत पेश किया। जमा बन्दी व आप्तपत्र का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन से तलब किया जाकर पचावली दिनांक 23.11.17 को पेश हो।

5673
26

जगदीश आर्य
उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम

23.11.17

वादी वकील उप. प्रतिवादी नं 27 की ओर से श्री R.B. गुप्ता वकील ने अकालतनमा व जमाव पेश किया। जमाव की अकालत दिनांक प्रतिवादी नं. 1 ता. 5 के समतल प्राप्त कर हलका करते से अकालत किया है। प्रतिवादी नं 17 ता. 22 का पत्र सूचना उपस्थित नहीं है। प्रतिवादी नं. 23 ता. 25 के समतल शामिल जमाव हुए हैं। प्रतिवादी नं. 6 ता. 16, 26, 28 के समतल जमाव भी प्राप्त नहीं है। P.O. सा. अवकाश पर पत्रों की काले भंगित गये। दि. 28.12.17 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडा

फर्द अहकाम

दिनांक

30.5.19

पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं हैं। कई बार आवाज दिलवाई फिर भी वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह दावा अदम राजिरी एवं अरम-पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार नम्बर से कम होकर दारिखत दफतर है।

उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (दस्तावेज)